



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-11092020-221674
CG-MP-E-11092020-221674

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2756]
No. 2756]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2020/भाद्र 19, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2020/BHADRA 19, 1942

रेल मंत्रालय
(पश्चिम मध्य रेलवे)
(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

जबलपुर, 17 जुलाई, 2020

का.आ. 3103(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा-2 के खण्ड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए मध्यप्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित परियोजना अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्र. सं.	परियोजना का नाम
1	बुधनी- इंदौर नई रेल लाइन परियोजना (205 कि.मी.), मध्य प्रदेश

[फा. सं. WCR-HQ0CONS(RVNL)/1/2020]

राजेश अर्गल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(West Central Railway)
(CONSTRUCTION ORGANIZATION)

NOTIFICATION

Jabalpur, the 17th July, 2020

S.O. 3103(E).—In exercise of the power conferred by clause (37 A) of section- 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby notifies the project mentioned in Table below as Special Railway Project in the state of Madhya Pradesh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from date of Publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of Project
1	Budni-Indore New line Project (205 Km), Madhya Pradesh.

[F. No. WCR-HQ0CONS(RVNL)/1/2020]

RAJESH ARGAL, Chief Administrative Officer (Construction)